IJAER/ May-June 2020/Volume-8/Issue-6 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

"चौधरी चरणसिंह : प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ"

अमनदीप सिंह
शोध छात्र
राजनीति विज्ञान
श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय,
पीलीबंगा हनुमानगढ़ (राज0)

डॉ0 कमलेश राठौड़
सहायक आचार्य कला संकाय
राजनीति विज्ञान विभाग
श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय,
पीलीबंगा हनुमानगढ़ (राज0)

शोध का परिचयात्मक विश्लेषण

प्लेटो द्वारा एक राजा के जो गुण या अर्हताएं बताई गई है, वे चौधरी साहब पर अक्षरशः सही उतरती है। प्लेटो कहता है, 'मैं राजा को समस्त शक्तियां देने के लिए तैयार हूं पर धन–दौलत नहीं। चौधरी साहब ने भी लोक–हित की दिशा में, मंत्री, मुख्यमंत्री या गृहमंत्री के रूप में मिली हुई शक्तियों का उपयोग किया था, पर धन का संचय नहीं। उनके किसान–संस्कार की यह सबसे बड़ी विशेषता थी, जो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलती।

चौधरी साहब ने अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन से लेकर, अंतिम क्षणों तक, जनहित के लिए संघर्ष करते रहे थे। वह एक मात्र ऐसे विधायक, प्रदेश में मंत्री, मुख्यमंत्री, केन्द्र में गृह–मंत्री तथा वित्त–मंत्री और प्रधानमंत्री थे, जिसके पास देश के किसी स्थान पर न अपना कोई घर था, न कार थी, और न कहीं फार्म हाउस था। दिल्ली में रोग–ग्रसित होते समय, चौधरी साहब की पास बुक में लगभग बीस बाईस हजार रूपये थे, जिनमें से अधिकांश रूपये रोग के समय खर्च हो गये थे और शेष बचे थे सिर्फ दो–ढाई हजार रूपये।

आज के युग में, विधायक बनते ही लोग कार, मकान और बैंक–बैलेंस वाले बन जाते हैं, पर चौधरी साहब सन् 1937 से 1978–79 तक सत्ता में रहते हुए भी वैसे ही थे, जैसे मेरठ या गाजियाबाद में वकालत करते समय थे। वह जब केन्द्र में वित्त–मंत्री या प्रधानमंत्री थे तो कोई व्यक्ति उनसे मिलने आया था। जाते समय, वह अपना ब्रीफकेस उनके कमरे में छोड़ गया। चौधरी साहब की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरन्त उसको बुलाकर कहा– 'अरे तुम अपना ब्रीफकेस यहां भूल गये थे, इसे ले जाओ।

यह थी उस महान् व्यक्ति की ईमानदारी। देखा यह जाता है कि लोग ऊंचे स्थानों पर बैठे हुए भी दिल के छोटे तथा दरिद्र होते है, लेकिन चौधरी साहब गरीब होते हुए भी राजा थे और विशाल हदय भी। एक उद्योगपति ने, किसी के माध्यम से, उनके चुनाव–फण्ड में कुछ राशि देने का वायदा इस शर्त पर किया था कि वह उनके चुनाव–क्षेत्र में अपनी चुनाव–सभा करके उसका विरोध न करेंगे।

प्रस्तावित शोध के सोपान

किसानों के इधर–उधर बिखरे खेतों को, एक या दो स्थानों पर लाना तथा उनको चक का रूप देकर, उनके श्रम और व्यय को बचाने एवं अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य से, सन् 1953 में चकबंदी–कानून बनाया गया था। इसके बनाने और कठोरतापूर्वक लागू करने में चौधरी साहब की भूमिका सर्वाधिक प्रधान थी।

एक दिन बातचीत के दौरान, चौधरी साहब ने मुझे बताया कि ज बवह सख्ती के साथ सन् 1954 में, उत्तर–प्रदेश के मैदानी भागों में इस कानून को लागू करा रहे थे, तब कई विधायकों, नेताओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने, मुख्यमंत्री पंत जी से उनकी शिकायतें की थी, लेकिन पंत जी ने सदैव उनका समर्थन एवं बचाव किया था, लेकिन इतनी सख्ती के साथ, जब आपने पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी कानून लागू कराया तो पंतजी नाराज हो गये। चौधरी साहब के ये शब्द संकेत करते हैं कि हमारे नेताओं के सिद्धांत और आचरण में अंतर हुआ करता था। यही कारण है कि भारत आज भी गरीब, भ्रष्टाचार से पीड़ित है।

प्रस्तावित शोध का महत्व

चौधरी साहब का ध्यान हमेशा प्रशासनिक योग्यता, लोकहित और ईमानदार आचरण पर टिका रहता था। इसका एक प्रमाण यह है कि जनपद बुलन्दशहर की रामगढ़ रियासत को कोर्ट–ऑफ–वार्ड से अलग कराने की कोशिश की गई थी।

चौधरी साहब को, इस कार्य में, राजनीतिक भ्रष्टाचार की गंध मिली थी। फलतः आपने इस प्रश्न को बड़ी गरिमा तथा जोरदारी के साथ उठाये। बात यहां तक बढ़ी कि आपने मंत्रिमंडल से अपना त्याग–पत्र दे दिया। मुख्यमंत्री पं. पंत ने उनका त्याग–पत्र स्वीकार नहीं किया। आज, संभवतः शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा, जो हर प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त हो, और उस विभाग का मंत्री सैद्धांतिक निष्ठा के निर्वाह–हेतु त्याग–पत्र देता हो।

चौधरी साहब को पंत जी ने सन् 1951 में न्याय और सूचना–मंत्री बनाया और 1952 में माल–विभाग भी सौंप दिया था। जमींदारी खत्म होने से नाराज पुराने जमींदारों ने सरकार को पाठ पढ़ाने का मन बनाया

और उनके द्वारा पाले–पोसे जाने वाले पटवारियों ने आन्दोलन शुरू कर दिया। इस आन्दोलन को पीछे से बढ़ावा पुराने जमींदार दे रहे थे। इन दोनों (पटवारी तथा जमींदार) की बेईमानी से भरी आदतों को, गांवो के किसान भली प्रकार जानते ही नहीं, उनसे रोजाना पीड़ित भी हो रहे थे। चौधरी साहब ने, दोनों वर्गो को पाठ पढ़ाने का इरादा कर लिया था। गरीब किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए यह आवश्यक भी था। अतः पहले तो चौधरी साहब ने, उत्तर–प्रदेश के समस्त पटवारियों से सरकारी कागजात तहसीलों में जमा करा लिये और फिर उनको सामूहिक त्याग–पत्र देने के लिए मजबूर कर दिया। पटवारियों के सामूहिक त्याग–पत्र देते ही चौधरी साहब ने उनको तुरन्त स्वीकार कर लिया। संभवतः इतनी बड़ी लगभग 26 हजार संख्या में लोगों को कभी किसी ने सेवा–मुक्त न दिया होगा। पटवारियों के त्याग–पत्र स्वीकार होने के बाद किसानों को राहत मिली और युवकों को रोजगार। पटवारियों के स्थान पर, आपने लेखपालों की भर्ती की और इस भर्ती में 18 प्रतिशत स्थान हरिजनों के लिए आरक्षित किये।

प्रस्तावित शोध का उद्देश्य

किसान अपने आप, बढ़–चढ़कर उनको चंदा देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह उनके सबसे अधिक समर्थक तथा हितैषी है। बात सन् 1977 के चुनावों की है। बड़ौत के समीप एक गांव में चौधरी साहब का प्रोग्राम था। उसी ग्राम के एक सज्जन ने हमसे कहा कि अगर चौधरी साहब हमारे यहां आ जाएं तो हम उनको चंदा देंगे। मैंने कहा–'तुमने क्या चौधरी साहब को अभी तक जाना नहीं? वह हरगिज इस शर्त पर नहीं जायेंगे।

यदि तुम उनको ले जाना चाहते हो तो ऐसा करो कि 100–200 की भीड़ इकट्ठी करना। वह नारा लगाते–लगाते उनके आगे चलें और तुम उनसे कहना कि चौधरी साहब कुछ महिलाएं आपके स्वागत के लिए अपने घर के बाहर खड़ी है। उनके हाथों में पुष्प–हार हैं और उनके घरवालों के हाथों में थाल। कृपया उनको, उनकी भेंटे स्वीकार करके, उपकृत कर दें। बात बन गयी। चौधरी साहब गये। दोनों हाथ जोड़कर महिलाओं को नमन किया, आर्शीवाद दिया और फौरन लौट पड़े। यह थी, उस व्यक्ति की शान।

उन्होंने शायद ही, कभी किसी के सामने हाथ फैलाया हो और शायद ही कभी चुनाव–फण्ड में मिले धन का दुरूपयोग किया हो। वह न कभी धन से बिके न राजनीतिक सत्ता के प्रलोभन पर। राजनीतिक गठबंधन उन्होंने भी किये थे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल सत्ता पर जमे रहना नहीं था, वरन् सत्ता के

माध्यम से, जनता का अधिकाधिक हित करना था। यही कारण है कि उनके प्रति, जनहितैषी लोगों में गहरी श्रद्धा थी।

प्रस्तावित शोध का निष्कर्ष

चौधरी साहब के त्याग–पत्र पर 'नेशनल हेरोल्ड' (लखनऊ) की टिप्पणी का बड़ा महत्व है। इससे चौधरी साहब के महत्व का प्रतिपादन होता है। टिप्पणी का भाग यह था– 'चौधरी चरण सिंह का त्याग–पत्र व्यक्तिगत तथा संस्थागत दोनों के लिए दुखान्त है। उनका मंत्रिमंडल से बाहर निकल जाना उ. प्र. शासन के लिए बड़ी हानि की बात है। श्री सम्पूर्णानन्द ने ऐसा साथी खोया है जो योग्य, गंभीर, परिश्रम और सत्यनिष्ठा के लिए विख्यात है।'

गृहमंत्री के रूप में, उनका नियम था कि बेईमान अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते समय वह किसी की सिफारिश को सुनते न थे और न ईमानदार अधिकारी को दण्डित होने देते थे। वह पुलिस विभाग को उपादेय और कर्तव्यपरायण बनाने पर कटिबद्ध थे। विभाग को सक्षम बनाने के लिए आपने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाये थे। सबसे पहले 1961 के बजट में यह प्रावधान करने की घोषणा की थी। कर्तव्य–पालन करते समय मुठभेड़ में मारे जाने वाले अराजपत्रित पुलिसकर्मी के उत्तराधिकारियों को मय वेतन–वृद्धि के पूरा वेतन जीवन भर मिले और पेंशन भी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

नायक, जे.ए. : फ्रोम टोटल रिवोल्यूशन टू टोटल फेल्योर, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस नई दिल्ली, 1979

वर्धन, प्रणव के. : लैण्ड, लेबर एण्ड रूरल पॉवर्टी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, 1984

बक,एलन : माओ–त्से–तुंग–ए गाइड टू हिज थोट, सेन्ट मार्टिन्स प्रैस, न्यूयार्क, 1977

बदोंपाध्याय, जे : माओ–त्से–तुंग एण्ड गांधी, एलायड पब्लिसर्स, कलकता, 1993

चरणसिंह : भारत की भयावह आर्थिक स्थिति–कारण और निदान, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1982